# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

*(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)*
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 225 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29 /पाकालि /2021–04–काविनी/20 दिनांकः 09 मार्च, 2021

## स्पष्टीकरण आदेश

विषय :- **कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विभिन्न संवर्गो की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले, कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्धारित सेवा शर्तों में बाण्ड मनी जमा करने का सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराये जाने तथा अन्य प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 में सेवा अनुबन्ध–पत्र, बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश, प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता, परिवीक्षा अवधि का निर्धारण एवं कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने विषयक निर्धारित किये गये प्रारूप में प्राविधानित विभिन्न व्यवस्थाओं के व्यवहारिक कियान्वयन में अनुभव की जा रही कतिपय कठिनाइयों एवं उत्पन्न संशय के निवारण हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के बिन्दु (V) की तृतीय पंक्ति में यथा उल्लिखित **"प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) के अतिरिक्त अग्रेतर 02 वर्ष की सेवा सहित"** का आशय **"प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह)* को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अग्रेतर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सहित"** से है।**

* प्रशिक्षण अवधि यथा आवश्यक होने पर बढ़ायी भी जा सकती है।

** संगत विनियमों में निर्धारित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार आवश्यक होने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ii) उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रसारित किये गये **"सेवा अनुबन्ध पत्र"** के प्रथम प्रस्तर में यथा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं अन्य प्राविधानों के सन्दर्भ में वचनबद्धता का प्राविधान संशोधित संलग्न **परिशिष्ट–"अ"** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये जाने वाले बन्ध–पत्र जो सम्प्रति **परिशिष्ट–"च"** के रूप में प्रसारित किया गया है की व्यवस्थाओं को और अधिक सुगम एवं स्पष्ट किये जाने के दृष्टिगत संलग्न संशोधित **परिशिष्ट–"ब"** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गयी 'व्यवस्थायें एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 में अनुबन्ध एवं सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराये जाने के प्राविधान में समूह "क", "ख" एवं "ग" में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले समस्त संवर्गो/पदों के कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे एवं सम्बन्धित कार्मिकों की संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधानों/नियुक्ति विषयक

d:\kavini files\kavini files 329\2020\04-kavini-2020\letter.doc

*क्रमशः...2*

सेवा शर्तों में समावेशित माने जायेंगे। तद्नुसार सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों में उपरोक्त संशोधित प्राविधान जोड़े जाने की आवश्यक कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

3. कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

*संलग्नक : यथोपरि।*

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**

**संख्याः 225 –(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।**

*प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को–कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.03.2021 को सम्पन्न 164(11)वीं बैठक के सन्दर्भ में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

**(राकेश भट्ट)**
**अनु सचिव (काविनी)**

d:\kavini files\kavini files 329\2020\04-kavini-2020\letter.doc

## सेवा अनुबन्ध–पत्र

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 01 वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण करने एंव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 02 वर्षो तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। 01 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 02 (दो) वर्षो की सेवा अवधि में (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 ........................ + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगें। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त ........................................(पदनाम) का बाण्ड मनी रू0 ..................... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनरारिश हेतु प्रतिभू (Guarantor) उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

(1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 .......... एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 ........................ की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षो की सेवावधि अर्थात कुल–04 वर्षो की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

**(कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)**

**बन्ध–पत्र**

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .................................................. पुत्र/पुत्री श्री ............................................................................ अस्थायी ........................................ जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0–............................................ दिनांक ...................... में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतदपश्चात् "......................" कहलायेंगे) एवं श्री ........................................................................ पुत्र/पुत्री श्री .................................................. निवासी .................................................................................(एतद्पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद्पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 ............................ + जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

**दिनांक .............. मास ........... वर्ष..........**

**हस्ताक्षरित**

**कार्मिक के हस्ताक्षर**

**प्रतिभू के हस्ताक्षर**

यतः कारपोरेशन ने .................................... को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी ............ ................. के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि ................. स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को ................................ के संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा, ............................ यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि ............................ अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में ..................... और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा उसके (..............) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, ................ की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

**साक्षी :** **हस्ताक्षरित**

1. **अभ्यर्थी**
2. **प्रतिभू**



32